

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

नायब तहसीलदार

नं०

पत्रावली संख्या 53/2.5.22- तारीख दायर 16.8.22 दिनांक निर्णय 10-10-22

उनवान

रिपोर्ट पटवारी हत्क) फिरोजपुर बनाम अगवान सहाय पुत्र मूलचन्द
कोम मीना श्री रामपुरा

आज पत्रावली मु. - राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप/अनु. जवाब

पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206/2.27.9 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल अगवान सहाय पुत्र मूलचन्द को जाति मीना निवासी रामपुरा

आराजी खसरा नं. 2/33, 2.4, रकबा 0.2.6 किस्म चारुवाके गाम ब्यावड़ी से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1.56 की 50 गुणा में मु.

128.8.00 कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

✓ फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23 के पृष्ठ संख्या 14 पर रा. प. 128/- राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)